

प्रेमक,

श्री इशोच गंडुली,
उम राय,
उत्तर प्रदेश शासन ।

17

सेवा में,

तंत्रिका,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
अक्षा क्र. 2 समुदाय केन्द्र, बिहार
नई दिल्ली ।

सिधा 171 अनुदान

तारीख: दिनांक: 9 मार्च 1993

विषय:- महर्षि विद्या मान्दर महाविद्यालय हादरी रोड/गोकुलाबाद को सी0बी0एस0बी0 नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रश्न का समाधान हेतु प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपका विषयक पत्र ~~से~~ पर ध्यान देकर देखा गया है कि महर्षि विद्या मान्दर महाविद्यालय, हादरी, रोड, गोकुलाबाद को सी0बी0एस0बी0 नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रश्न किये जाने में एक राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरिक्त नहीं है ।

- 1- विद्यालय की संवाकृत सोलाइजी का समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में सिधा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभा तयान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगी और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाकृत विद्यालयों में विभिन्न ष्ठाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सिधा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीलिया एनर द इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट प्रणाली में नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि के परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- सिधा केसिक एवं अधिस्तार कर्मचारियों को राजकीय तलायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आतासीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची तथा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रबन्ध/व्ययों में रखा जायेगा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या वरिष्ठता नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि विद्यालय में श्रद्धेय कर्मचारियों की नियुक्ति कितनी भी हो सकेगी तथा विद्यालय के अधिकारियों का वह रखाय विधिगत रखा जाएगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि कितनी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में कितनी भी प्रकार की सूक्ष्म या विधिगत भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महतीय,

आजीव मांगुली
उप सचिव ।

पुणे 2954111/15-7-1993 तदतिरिक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित शो सुनार्थ का आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महतीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, नाशिकावाट ।
- 4- निरीक्षक, राज्य भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, महार्थ विद्या मन्दिर महार्थ नगर हाटरी रोड, नोयडा नाशिकावाट ।

आजीव,

(Signature)

आजीव मांगुली